बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–17 / विविध–08 / 11 1255 (17) पटना, दिनांक–27 सितम्बर, 2012

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सृजित एवं स्वतंत्र रूप से गठित सुपर स्पेशियलिटि विभागों में चिकित्सक शिक्षकों की पदस्थापना एवं वरीयता निर्धारण हेतु निम्न अनुसार समिति का गठन किया जाता है–

(i) श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक–सह–सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना –अध्यक्ष
(ii) श्री आशीष कुमार, सचिव(प०क०), स्वास्थ्य विभाग, पटना –उपाध्यक्ष
(iii) श्री आर० पी० ओझा अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पटना –सदस्य
(iv) श्री बिनोद कुमार शुक्ला, वित्त पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पटना –सदस्य
(v) श्री साँवर भारती, प्रशासी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, –सदस्य सचिव

(2) यह समिति एम०सी०आई० के मापदंड के अनुसार न्यूनतम योग्यता एवं शैक्षणिक अनुभव के आधार पर सुपरस्पेशियलिटि विभागों में विकल्प आदि को देखते हुए पदस्थापन एवं वरीयता सूची का निर्धारण करने की अनुशंसा करेगी।

(3) समिति को सभी कागजात प्रशाखा पदाधिकारी–17 श्री हेमंत कुमार सिन्हा तथा प्रशाखा पदाधिकारी–01 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा उपलब्ध कराया जायगा।

(4) इस समिति के गठन के प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(5) चूँकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है, अतएव समिति कम से कम समय में अपनी अनुशंसा देगी।

(आशीष कुमार)
सचिव(प०क०)

ज्ञापांक–17 / विविध–08 / 11 - 1255 (17) पटना, दिनांक–27 सितम्बर, 2012
दिनांक–

प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आशीष कुमार)
सचिव(प०क०)

ज्ञापांक–17 / विविध–08 / 11 - 1255 (17) पटना, दिनांक–27 सितम्बर, 2012
दिनांक–

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / सचिव(प०क०) स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक एवं प्रशासी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / प्रशाखा–17 के दोनों प्रशाखा पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2)आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के सचिव (प०क०)

Anupama/Secy/E:/File no.-17/vividh-08/11